

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

दिनांक : 01/06/16

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1721

ति,
प्राचार्य,
रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड एडवांस स्टडीज
स्तलाम

वेषय : महाविद्यालय को सम्बद्धता निरन्तरता प्रदान करने संबंधी।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/046 दिनांक 06.04.2016

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि, शिक्षा सत्र 2016-17 में सम्बद्धता निरन्तरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा के विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 30.05.2015 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निरीक्षण समिति के अनुशंसानुसार महाविद्यालय में पूर्व से संचालित निम्न पाठ्यक्रमों में सत्र 2016-17 से शर्तों के अधीन सम्बद्धता निरन्तरता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों/विषय में सत्र 2016-17 से सम्बद्धता निरन्तरता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	बी.बी.ए.	220	9 बी.एससी. बायोटेक्नालॉजी	120
2	बी.सी.ए.	30	10 बी.एससी. फार्माकेमे.	120
3	बी.कॉम.प्लेन	60	11 बी.एससी. माइक्रोबायलॉजी	60
4	बी.कॉम.फारेन ट्रेड	120	12 बी.एससी.कम्प्यूटर एप्ली.	60
5	बी.कॉम.कम्प्यूटर एप्ली.	60	13 बी.एससी.सांख्यिकी	60
6	बी.कॉम.टेक्स प्रोसीजर	100	14 बी.एससी.कम्प्यूटर साइंस	60
7	बी.एड.	100	भौतिकी, गणित	
8	एम.बी.ए.	60	15 एम.एससी.बायोटेक्नालॉजी	20

- शर्त :- 01 बी.एड. पाठ्यक्रम को छोड़कर परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन करावें।
02. 15 कम्प्यूटर लायसेंस साफ्टवेयर के साथ क्रय करें।
03 विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3)(i) के अनुसार महाविद्यालय इण्डोमेंट फण्ड की राशि जमा करा दी गयी है तो उसकी एक छायाप्रति सम्बद्धता विभाग में प्रस्तुत करें एवं जमा नहीं की गयी है तो विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 634 दिनांक 11.2.2016 के अनुसार जमा करावें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक : 01/06/16

क्रमांक/अकादमिक/संबद्धता/2016/1722

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
 2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
 3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 4. संबंधित अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, उज्जैन।
 5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 7. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- की ओर सूचनार्थ।

15/2/16
प्रो.इंचार्ज (अकादमिक)



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1494

दिनांक :- 07/05/16

--: सूचना --:

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड एडवांस स्टे.रतलाम

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :-

- (1) बी.बी.ए.
- (2) बी.सी.ए.
- (3) बी.कॉम.आवेदन अनुसार विषय
- (4) बी.एड.
- (5) बी.एससी., आवेदन अनुसार विषय
- (6) एम.बी.ए.
- (7) एम.एससी.(बायोटेक्ना.)

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01. प्रो. दीपक गुप्ता - पु.ज.ने. व्यवसाय प्रबंध संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
02. डॉ.रामजी यादव - उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अ.शा., विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
03. डॉ.संदीप तिवारी - उपाचार्य, गणित अ.शा., वि.वि., उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन, क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्किनेस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाएं अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडियोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडियोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)

निरंतर...02